

शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1992 भाद्र 20, 1914

की अनुपूरक कार्य सूची

दिनांक 11 सितम्बर, 1992 की कार्य सूची के पद क्रमांक 9 के पश्चात् तथा पद क्रमांक 10 के पूर्व पद क्रमांक 9-अ को जोड़कर पढ़ा जाय, अर्थात् :-

9-अ शासकीय विधि विधेयक कार्य

§1§ श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक, 1992 क्रमांक 23 सन् 1992 के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे ।

§2§ डॉ० राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक, 1992 क्रमांक 24 सन् 1992 के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे ।

§3§ श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 1992 क्रमांक 23 सन् 1992 पर विचार किया जाये ।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये ।

§4§ डॉ० राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक, 1992 क्रमांक 24 सन् 1992 पर विचार किया जाये ।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये ।

भीषाल:

दिनांक 11 सितम्बर, 1992

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.